36 मा/निग०/सतना/१५-ए०/2017/13988

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)

Rs.30/-

लल्लू साहू तनय बैटा साहू, नि० ग्रा० मगरौरा, थाना मैहर देहात, तह० मैहर, जिला- सतना (म०प्र०) ----- आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

(1) बब्बू साहू पिता बैटा साहू नि० ग्रा० मगरौरा, थाना- मैहर देहात, तह० मैहर, जिला- सतना (म०प्र०)

(2) म०प्र० शासन .... ---अना०/गैरनिगरानीकर्ता

आवेदक लल्लू साहू द्वारा पेश/24-10-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश रा०नि०मं० वृत्त-तिलौरा, तह० मैहर, जिला- सतना (म०प्र०) द्वारा मामला क्र०- 40/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 09-06-2017.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

महोदय,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित हैं:-

(1) यह कि मातहत राजस्व निरीक्षक वृत्त तिलौरा, तह० मैहर, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा पारित आलोच्य आदेश नैसर्गिक न्यायसिद्धांत, विधि-प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

(2) यह कि आवेदक एवं अनावेदक एवं कुमरवा तैली, मोतीलाल तैली, आपस में सगे भाई व बैटा साहू के पुत्र हैं, जिनके हक, कब्जे एवं स्वामित्व की आ० नं० 441 व अन्य भूमियां मुताबिक बंटवारा चार अंशों में विभाजित होकर सभी के पृथक-पृथक खाता सृजित हैं। जिसमें वादित आराजी 441/1 आवेदक के नाम 441/3 आपत्तिकर्ता के नाम तथा अन्य बटा नंबरान उपरोक्त अन्य दो भाईयों के नाम दर्ज अभिलेख हैं:-

(3) यह कि मूल आ० नं० 441 का आपसी विभाजन मौके से चार पाटी बनाकर पूर्व पश्चिम लम्बी पाटी का बंटवारा किया गया था, जिसके अनुसार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निग0/सतना/भू.रा./2017/3988

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त तिलौरा तहसील मेहर जिला सतना के प्रकरण कमांक 40 अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 9–6–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर सुना जा चुका है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह हैं कि अनावेदक क–1 ने ग्राम मगरौरा की आराजी कमांक 441/1, 442/2 के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 40 अ–12/16–17 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की। हलका पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 3–6–17 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया । सीमांकन पर आपत्ति न आने के कारण राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 9–6–17 पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि हलका पटवारी ने एंव राजस्व निरीक्षक ने आवेदक को सूचना दिये बिना चोरी छिपे सीमांकन किया है एंव भूमि की गलत पैमायश की गई है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने की वह अधिकारी है। अनावेदक की भूमि के सीमांकन से आवेदक	

स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता है, तब वह आर.आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 9–6–17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य